



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 10 दि. 03.04.2017

**आदेश**

**विषय :-** ग्रामीण क्षेत्र में घरेलु कनेक्शन जारी किये जाने हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम द्वारा जारी आदेश वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-390 दिनांक 25.04.2007 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलु कनेक्शन जारी किये जाने हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। प्रायः यह देखा गया है कि क्षेत्राधिकारियों द्वारा आदेश की सही प्रकार से पालना नहीं की जा रही है।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलु कनेक्शन जारी किये जाने हेतु ली जाने वाली निर्धारित दर के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं:

- (अ). ग्रामीण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र में एवं : निर्धारित दर- रु. 1500/- प्रति कनेक्शन आबादी क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी तक
- (ब). मीटर बॉक्स की कीमत एवं : अवसूलनीय मीटर के प्रति प्रतिभूति राशि

वितरण तन्त्र (Mains)/ 300 मीटर से अधिक आपूर्ति लाइन के विस्तार की आवश्यकता होने पर लाइन के विस्तार हेतु निम्नांकित राशि वसूल की जावेगी :

- सिंगल फेस एल.टी. लाइन हेतु : रु. 100/- प्रति मीटर  
थ्री फेस एल.टी. लाइन हेतु : रु. 150/- प्रति मीटर

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(यू.एस. चौहान)

अधीक्षण अभियंता (आर ए एंड सी)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर